संख्या-132/2015/3248/41-2015-01 यो0/14

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद इटावा में सुमेर सिंह किला के निकट टूरिस्ट काम्प्लेक्स के अधूरे एवं उच्चीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्य की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1184/6-1-1 (409)/2015, दिनांक 10-09-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद इटावा में सुमेर सिंह किला के निकट टूरिस्ट काम्प्लेक्स के निर्माण कार्य की योजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 54.97 लाख (रूपये चौवन लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 41.22 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 08/2015/62/41-2015-44 यो0/12, दिनांक-28.01.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद इटावा में सुमेर सिंह किला के निकट टूरिस्ट काम्प्लेक्स के अधूरे एवं उच्चीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्य की योजना हेतु अवशेष धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में रू0 13.75 लाख (रूपये तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना, स्थल के फोटोग्राफ सहित तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय वित्त समिति की शर्तों एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थल का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-132/2015/3248 (1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहार भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)

http://srisanadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in